अध्याय- V

खोज, निहितार्थ और सुझाव

5.0.0 परिचय:

सारांश किसी भी अध्याय को संक्षिप्त करने का प्रयास होता है जिसके द्वारा अध्याय को संक्षिप्त व सरल रूप में समझाया जा सके । इस अध्याय में लघुशोध का सारांश एवं अध्याय चार में दिये गये प्रदत्तों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष को प्रस्तुत किया गया है । साथ ही अध्ययन के अंतर्गत संबंधित अध्ययन को विभिन्न क्षेत्रो में करने के लिये सुझाव भी देने का प्रयास किया गया है ।

5.0.1 शीर्षक: "प्राथमिक विद्यालय चिखली कलाँ पर विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यप्रणाली की प्रभावशीलता का अध्ययन "

5.0.2 अध्ययन का उद्देश्य :

1. चिखली कलाँ के बच्चो का नामांकन एवं उपस्थिति बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा किये गए कार्यों की जांच करना ।
2. मध्यान भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने में विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यों की जांच करना ।
3. भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण करना ।

5.0.3 अध्ययन के लिए शोध प्रश्न:

1. चिखली कलाँ के बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए गये ?
2. मध्यान भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विद्यालय प्रबन्धन समिति किस तरह से कार्य करती है ?
3. भौतिक संसाधन की उपलब्धता के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति किस प्रकार के कदम उठाए गए ?

5.0.4 शोध की आवश्कता और महत्व :

RTE 2009 के तहत 6-11 वर्षों के लिए समान शिक्षा का अधिकार दिया गया है । प्राथमिक शिक्षा के लिए आयाम और कार्यक्रम लागू किए गए हैं । गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को पूरा

करने के लिए सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों ने स्कूलों के कामकाज को बढ़ाने के लिए आरटीई अधिनियम की धारा 21 के अनुसार एसएमसी का गठन किया है। माता-पिता और बच्चे एक शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक हितधारक हैं, और इन समितियों में माता-पिता या अभिभावकों की भागीदारी को मुख्य महत्व दिया गया है। ताकि विद्यालय के प्रबंधन का उचित तरीके से मूल्यांकन किया जा सके। माता-पिता SMC का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, हालांकि, यह तथ्य कि इन सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश छात्रों के माता-पिता निम्न-सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित हैं। इसलिए एसएमसी के सदस्यों द्वारा उनकी जो जिम्मेदारी है उनको निर्वहन किया जाता है और छात्रों की उपस्थिति बड़ाने और नामांकन करने के साथ विद्यालय भवन के भौतिक संसधनों का उपलब्धता कराना है। इसलिए एसएमसी के सदस्यों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उनकी प्रभवशीलता को जांच करना एवं एसएमसी के सदस्यों द्वारा उसमे बदलाव लाने की कोशिश करना है। ताकि विद्यालय का विकास होते रहे।

5.0.5 शोध अभिकल्प : प्रस्तुत शोध एंव केस स्टडी से किया गया है जो कि शोधकर्ता द्वारा प्राथमिक चिखली कलाँ पर एस एम सी कि प्रभावशीलता किस प्रकार से होती है यह देखा गया है।

5.0.6 जनसंख्या : इस अनुसंधान मे जनसंख्या के पर प्राथमिक के विद्यायल चिखली कलाँ 3 शिक्षक , 1 प्राचार्य एंव ,1 संकुल प्राचार्य से लिया गया है।

5.0.7 न्यायदर्श का चयन: शोधकर्ता ने न्यायदर्श का चयन अपनी सुविधानुसार किया है क्योंकि कोरोना महामारी के करन अन्य विद्यालय से प्रदत्तों को प्रपात करना संमभावित नहीं था जिस कारण से शोधकर्ता ने के गाँव के प्राथमिक विद्यालय चिखली कलाँ को चुना जंहा से प्रदत्तों का संकलन करने मे आसानी हुयी। अंतः प्रस्तुत शोध मे सोद्देश्य प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया गया है।

5.0.8 प्रयुक्त उपकरण : शोधकर्ता द्वारा परीक्षण भाषा कि विशेषता को ध्यान मे रखकर अपने शोध हेतु स्वः निर्मित साक्षात्कार (शिक्षकों , प्राचार्य ,संकुल प्राचार्य) के लिए निर्मित किया गया है।

शोध कर्ता ने इन साक्षात्कार प्रश्नों का निर्माण पर्यवेक्षक एंव अपने सहपाठी कि मदत से विकसित किया गया है।

5.0.9 प्रदत्तों के संकलन की प्रक्रिया :

शोधकर्ता ने बैठक की छायाप्रति प्राथमिक विद्यायल चिखली कलाँ के एसएमसी के बैठक रजिस्टर से लिया गया है एंव शिक्षकों का लिखित साक्षात्कार द्वारा किया गया है ।

5.0.10 अध्ययन में दिए गए उद्देश्यों के अनुसार व्यवस्थित रूप से यहां निष्कर्ष दिए गए हैं:

विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किए गए किए कार्यों से विद्यालय पर क्या प्रभाव होता है उससे संबंधित निष्कर्ष निकालने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा 2015 से 2017 एवं 2017 से 2019 तक ली गई बैठकों का विश्लेषण करने पर हमें हमें यह ज्ञात होता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा जो कार्य किए यह गए हैं उनका विद्यालय पर प्रभाव पड़ता है एवं विद्यालय का विकास होता है ।

1. विद्यालय प्रबंधन समिति से लिए साक्षात्कार गये एंव परिचर्चा तालिका क्रमांक ....से हमे ज्ञात होता है की नामांकन मे व्रद्धि हुयी है और अनुपस्थित छात्र भी विद्यालय आने लगे हैं ।
2. विद्यालय प्रबंधन समिति से लिए गये साक्षात्कार एंव परिचर्चा से यह ज्ञात होता है कि भोजन के खाने में गुणवत्ता सुधार हो रही है एवं समय पर वितरण हो रहा है ।
3. विद्यालय प्रबंधन समिति से लिए गये साक्षात्कार एंव परिचर्चा से यह ज्ञात होता है कि भौतिक संसाधनों की उपलब्धता कराई जाती है ।

5.0.11 शिक्षा के निहितार्थ विद्यालय कर्मचारी के लिए :

1. एसएमसी सदस्यों और विद्यालय के कर्मचारियों के बीच स्वस्थ समन्वय होना चाहिए ।
2. विद्यालय के हेड मास्टर को सभी आवश्यक मामलों में एसएमसी को रिपोर्ट करना चाहिए ।
3. एसएमसी बैठकों में सभी योजना और बजट पर चर्चा की जानी चाहिए ।
4. एसएमसी बैठकों में नियमितता होनी चाहिए । एक महीने की विशेष तिथि पर नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जानी चाहिए ।
5. स्कूलों द्वारा आयोजित सभी कार्यों में एसएमसी सदस्यों को आमंत्रित किया जाना चाहिए ।
6. विद्यालय को छात्रों के नामांकन में एसएमसी सदस्यों का सहयोग लेना चाहिए और विद्यालय में छात्रों की नियमित उपस्थिति बनाये रखना चाहिए ।

5.0.12 भविष्य में शोध के लिए सुझाव:

कोई भी अध्ययन जांच के किसी भी क्षेत्र में अंतिम कार्य नहीं है चाहे वह भौतिक विज्ञान हो या व्यवहार विज्ञान । अनुसंधान जारी है और निरंतर प्रक्रिया है । इस प्रकार अन्वेषक यह दावा नहीं करता है कि वर्तमान अध्ययन के निष्कर्ष अंतिम हैं । परिणामों को मान्य करने के लिए इसे और अधिक शोध की आवश्यकता है । वर्तमान अध्ययन से संबंधित बहुत सारे नए प्रश्न उठते हैं इसलिए भविष्य के अध्ययन की गुंजाइश बहुत उज्ज्वल है ।

आगे के अध्ययन के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:

- विद्यालय सुधार कार्यक्रम में एसएमसी सदस्यों की जागरूकता के बारे में भावी अध्ययन गुणात्मक रूप से आयोजित किए जा सकते हैं ।
- विद्यालय सुधार कार्यक्रम में एसएमसी सदस्यों की भूमिका के बारे में भावी अध्ययन गुणात्मक रूप से आयोजित किए जा सकते हैं ।
- प्राथमिक विद्यालयों के विद्यालय सुधार कार्यक्रम में एसएमसी सदस्यों की भूमिका जागरूकता के बारे में विभिन्न राज्यों के एसएमसीएस का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है ।
- ग्रामीण और शहरी विद्यालय प्रबंधन समितियों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है ।
- एसएमसी का एक विस्तृत विश्लेषण (शक्ति, कमजोरियाँ, अवसर और खतरे) इस शोध के आधार पर किए जा सकते हैं ।
- एसएमसी की विभिन्न भूमिकाओं के लिए अलग अध्ययन किया जा सकता है । विद्यालय के कार्यों की निगरानी में एसएमसी की भूमिका का अध्ययन ।

संदर्भ ग्रंथ :

- बेस्ट. जे डब्ल्यू. रिसर्च इन एजुकेशन, न्यू दिल्ली , प्रैक्टिस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमटेड
- गवरनमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट (2006). नेशनल प्रोग्राम ऑफ नेशनल सपोर्ट 2 प्राइमरी एजुकेशन "गाइडलाइंस न्यू दिल्ली,
- मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन (1996) एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमिशन, न्यू दिल्ली
- मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट एमएचआरडी (2004) विद्यालय एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मिड डे मील स्कीम.
- राईट टू एजुकेशन एक्ट (2002). मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली 16.
- इंडिया फूड प्रोग्राम (2007). अ डेस्क रिव्यु ऑफ द डे मिल्स प्रोग्राम . अंगेलिक्केचेटिपैर मेल राजस विद्यालय ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानिंग कार्डिफ यूनिवर्सिटी (2007),
- फातिमा जसीन (2011). स्टडी ऑफ अवरेनेस ऑफ एम एड ट्रेनीज ऐडस्वर्च जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च वोल. 2 नो.2 अक्टूबर 2011, पी पी 63-66
- एम एच आर डी 2011 "द राईट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, "डिपार्टमेंट ऑफ विद्यालय एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवरनमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली.